दिनांक 6.07.2016 को अपरान्ह् में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के विकास खण्ड लालगंज के ग्राम सरांय जानमती स्थित ''कस्तूरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालय'' के निरीक्षण की अभिलिखित टिप्पणी ।

द्वारा : जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 6.07.2016 को अपरान्ह् (1.45) बजे में जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के विकास खण्ड लालगंज स्थित ग्राम सरांय जानमती स्थित कस्तूरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री महेन्द्र बहादुर सिंह मुख्य विकास अधिकारी, श्री वाई0बी0 सिंह उप जिलाधिकारी लालगंज, प्रतापगढ़ उपस्थित रहे।

1. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त कस्तूरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालय में कोई भी वार्डेन, शिक्षिका, छात्राएं उपस्थित नहीं रहीं, बल्कि मात्र एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री राम मोहन उपस्थित रहे। श्री मोहन से उक्त विद्यालय में शिक्षिकाओं एवं छात्राओं की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में पूँछतांछ करने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। उल्लेखनीय है कि कस्बूरबा गॉधी आवासीय विद्यालय में वार्डेन सहित छात्राओं की शिक्षण काल में उपस्थिति अनिवार्य रहती है। जबकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में कस्तूरबा गॉधी बिहार, पट्टी के निरीक्षण के दौरान विद्यालय में वार्डेन सहित छात्राओं की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करायें जाने हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था, किन्तु खेद का विषय है कि उक्त महत्वपूर्ण निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण ऐसी स्थिति प्रकाशम में आयी। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। **इस सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया**

————2

कि उक्त के लिए उत्तरदायी खण्ड शिक्षा अधिकारी/वार्डेन का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

2. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त विद्यालय परिसर में मुख्य द्वार के पास भूमि असमतल है जिसमें गड्ढों में पानी भरा हुआ है। इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी लालगंज एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी लालगंज को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विद्यालय का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर उक्त भूमि को नियमानुसार समतल कराकर एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

(डा0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़।

संख्या : 1530/शिविर–2016

दिनांक : जुलाई 07, 2016

1. आयुक्त महोदय, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़।
4. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार लालगंज, प्रतापगढ़।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़।
6. खण्ड विकास अधिकारी लालगंज।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ़।
8. खण्ड शिक्षा अधिकारी लालगंज, प्रतापगढ़।
9. अन्य समस्त सम्बन्धित।

जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।